राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 466/2016

पप्पू राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सरकार जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अलवर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.04.2016
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर कार्य करने की अनुमति दी जावे और आदेश दिनांक 24.07.2015 एवं 14.09.2015 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई थी। अपीलार्थी को उक्त पद पर कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापसिंहपुरा, तहसील नीमराणा, जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.01.1995 को हुई थी और सेवा के दौरान अपीलार्थी ने वर्ष 2008 में बी.एड. योग्यता अर्जित की तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। तदुपरान्त आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा अपीलार्थी को

रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया गया। अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1298 दर्शाया गया और विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2015 को आदेश जारी कर जिसमें अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर जिला अलवर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2016 के द्वारा डीपीसी जो व्याख्याता के पद के लिए की गई थी, उसे निरस्त कर दी गई और रिव्यू डीपीसी की गई। उनका कथन है कि अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलाथी का नाम अंकित नहीं है। अपीलार्थी ने वर्ष 2008 में बी.एड. योग्यता अर्जित की और वर्ष 2008–09 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर गलत तरीके से अपीलार्थी की पदोन्नति की गई है और इसी प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की गई है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु विभाग द्वारा कोई उचित निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 12.01.2016 के विरूद्ध एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3147/2016 प्रस्तुत की, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2016 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और उक्त अनुपालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर कार्य करने की अनुमति दी जावे और आदेश दिनांक 24.07.2015 एवं 14.09.2015 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई थी। अपीलार्थी को उक्त पद पर कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का नाम मंडल स्तर की अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 797 वर्ष 2008–09 एवं राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 3290 पर नाम दर्ज था। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2008–09 से बी.एड. की अंकतालिका के संबंध में विभाग को अवगत कराया गया। दिनांक 17.07.2019 को जयपुर मंडल की वरिष्ठता सूची वर्ष 2008–09 की नवीन वरिष्ठता सूची पर क्रमांक 660(30ए) पर नामांकन किया गया और निदेशालय द्वारा दिनांक 26.08.2019 द्वारा राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 2008–09 के नवीन वरिष्ठता क्रमांक 2988–3(ए) पर नामांकन किया गया। अपीलार्थी का चयन वर्ष 2015–16 के

विरूद्ध प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर डीपीसी से चयन किया गया लेकिन स्थाई राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं होने के कारण अपीलार्थी प्राध्यापक के पद पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन का पात्र नहीं होने के कारण चयन रिव्यू डीपीसी में निरस्त किया गया और वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राध्यापक राजनीति विज्ञान की अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन का पात्र नहीं बनता है। यदि अपीलार्थी का चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति किया गया चयन स्थाई वरिष्ठता सूची में नामांकन नहीं होने के कारण चयन निरस्त नहीं किया जाता है तो भी इनका उक्त चयन वरिष्ठतानुसार निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन के पात्र नहीं होने के कारण निरस्त योग्य बनता है। इसलिए रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी का चयन निरस्त किया गया है और इन्हें चयन वर्ष 2017–18 में चयन का पात्र बनने के कारण चयनित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.01.1995 को हुई थी और सेवा के दौरान अपीलार्थी ने वर्ष 2008 में बी.एड. योग्यता अर्जित की तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। तदुपरान्त आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी का चयन व्याख्याता/प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के पद पर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2016 के द्वारा पूर्व चयन वर्ष 2015–16 परिवर्तित किए जाने एवं पूर्व में किया गया चयन निरस्त किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2008 में बी.एड. योग्यता अर्जित की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी द्वारा विभाग को समय पर दे दी गई। परंतु हमारे मत में दिनांक 17.07.2019 को जयपुर मंडल की वरिष्ठता सूची वर्ष 2008–09 की नवीन वरिष्ठता सूची पर 660(30ए) पर नामांकन किया गया और निदेशालय द्वारा दिनांक 26.08.2019 द्वारा राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 2008–09 के नवीन वरिष्ठता क्रमांक 2988–3(ए) पर नामांकन किया गया। अपीलार्थी का चयन वर्ष 2015–16 के

विरूद्ध प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर डीपीसी से चयन किया गया लेकिन स्थाई राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं होने के कारण अपीलार्थी प्राध्यापक के पद पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन का पात्र नहीं होने के कारण चयन रिव्यू डीपीसी में निरस्त किया गया और वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राध्यापक राजनीति विज्ञान की अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन का पात्र नहीं होने के कारण अपीलार्थी का पूर्व चयन वर्ष 2015–16 को परिवर्तित कर चयन वर्ष 2017–18 में पात्र माने जाने के कारण चयन वर्ष 2017–18 किया गया, जो हमारे मत में उचित एवं सही प्रकट होता है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य